प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:–ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या ....32/22.......... दिनांक..........5/2/2022
2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा–07
   (2) अधिनियम– भारतीय दण्ड सहिंता ....धारा –
   (3) अधिनियम..............................धारायें –..............................
   (4) अन्य अधिनियम धारायें..............................
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........77.....समय..........12-05 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन ... बृहस्पतिवार....दिनांक....03.02.2022 ...समय 09.01 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 02.02.2022 समय 12.55 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित / मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थलः– पंचायत समिति, सुल्तानपुर परिसर स्थित आरोपी का सरकारी आवास
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब उत्तर–पूर्व व 45 कि.मी.
   (ब) 'पताः– पंचायत समिति सुल्तानपुर परिसर स्थित आरोपी का सरकारी आवास
   जरायम देही संख्या....................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना –
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नामः– श्री हरविन्द्र सिंह
   (ब)पिता का नाम – श्री हीरा सिंह
   (स) जन्म तिथी / वर्ष........ उम्र 31 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या..............................जारी होने की तिथी...............
   जारी होने की जगह..............................
   (र) व्यवसाय–व्यवसाय
   (ल) पता – बालापुरा कुन्हाडी, हाल म.न.–3, श्रीनाथ विहार, बूंदी रोड कोटा
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

   (1) श्री विश्राम सिंह मीणा पुत्र श्री होरी लाल जाति मीणा उम्र 53 साल निवासी ग्राम बडापुरा, पोस्ट भावली, तहसील मासलपुर, जिला करौली हाल सहायक अभियंता, एवं कार्यवाहक ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–.............................. शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....50,000 / – रूपये..............................
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..............................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.02.2022 समय 12:55 पी.एम. पर मन् विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री हीरासिंह जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी बालापुरा कुन्हाडी हाल मकान नं. 03 श्रीनाथ विहार कॉलोनी, बूंदी रोड कोटा, जिला कोटा, मोबाईल नं. 9929797400 ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। मैंने दो फर्म बना रखी है। फर्म शिवांग एन्टरप्राईजेज मेरे नाम से है व फर्म वंश एन्टरप्राईजेज मैने मेरे मुंशी ओमप्रकाश के नाम से बना रखी है। पंचायत समिति सुल्तानपुर में सामग्री सप्लाई का टेण्डर फर्म वंश एवं शिवांग एन्टरप्राइजेज के नाम है। वंश एन्टरप्राईजेज का काम भी मैं ही देखता हूं। पंचायत समिति सुल्तानपुर के सहायक अभियंता श्री विश्राम मीणा जिनके पास बी.डी.ओ. का चार्ज भी है। श्री विश्राम मीणा, एईएन साहब मेरी सामग्री में कमी बताकर जानबूझकर काम रूकवा देते है। फिर पुनः काम चालू करने की बात करता हूं तो मुझसे रिश्वत की मांग करते है। इसी तरह पहले भी श्री विश्राम मीणा ने मण्डावरी इंटरलांकिग के काम में 01 लाख रूपये व खेडली महादीत के काम में 50 हजार रूपये मेरे से लिये थे। श्री विश्राम मीणा ने अभी मेरे बमोरी ग्राम पंचायत के गांव ककरावदा के शमशान के रास्ते पर चले रहे इंटरलांकिग के काम को बंद करवा दिया है। मैं 12–13 दिन पहले उनसे मिला तो निर्माण सामग्री पास करने के लिए वह 01 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। वह मेरे से 01 लाख रूपये रिश्वत लेने के बाद ही मुझे काम करने देगें। श्री विश्राम मीणा रिश्वत की

बात मुझसे ही करेगें। श्री विश्राम मीणा, एईएन साहब से मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ना ही कोई उधारी के पैसो का लेनदेन है। मै मेरे जायज काम के बदले श्री विश्राम मीणा को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। कार्यवाही ब्यूरो :– प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट हाजा परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत उम्र 31 वर्ष निवासी बालापुरा कुन्हाडी हाल निवासी मकान नं. 3, श्रीनाथ विहार कॉलोनी, बूंदी रोड कोटा ने हस्तलिखित तहरीर पेश की। मजमून प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने बताया कि श्री विश्राम मीणा, एईएन साहब मेरी सामग्री में कमी बताकर जानबूझकर काम रूकवा देते है। फिर पुनः काम चालू करने की बात करता हूं तो मुझसे रिश्वत की मांग करते है। इसी तरह पहले भी श्री विश्राम मीणा ने मण्डावरी इंटरलांकिग के काम में 01 लाख रूपये व खेडली महादीत के काम में 50 हजार रूपये मेरे से लिये थे। श्री विश्राम मीणा ने अभी मेरे बमोरी ग्राम पंचायत के गांव ककरावदा के शमशान के रास्ते पर चले रहे इंटरलांकिग के काम में सप्लाई के कार्य को बंद करवा दिया है। मैं दो –तीन दिन पहले उनसे मिला तो निर्माण सामग्री पास करने के लिए वह 01 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। वह मेरे से 01 लाख रूपये रिश्वत लेने के बाद ही मुझे काम करने देगें। चूंकि इस समय डां. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा देहात उपस्थित कार्यालय नहीं है, परिवादी रिश्वत मांग की वार्ता आज ही होना बता रहा है। प्रार्थना पत्र व दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया है। मामला रिश्वत की मांग का होने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्री पवन कुमार कानि. 272 को तलब कर परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह से परिचय करवाया गया। समय 01.40 पी.एम. पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी को चालू व बन्द करना समझाया गया। फर्द सुपुदर्गी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब की गई। परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह को आरोपी श्री विश्राम मीणा, ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, सुल्तानपुर से अपने काम व रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत कर रवाना किया गया एवं श्री पवन कुमार कानि0 272 को परिवादी के हमराह वार्ता की निगरानी हेतु रवाना किया गया। समय 05.00 पी.एम पर परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह मय श्री पवन कुमार कानि0 272. के कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर मौखिक बताया कि हम यहां से रवाना होकर पंचायत समिति सुल्तानपुर पहूंचे। जहॉ मैनें इन्हें मेरी गाडी में ही छोड दिया और मैं आरोपी से मिलने उसके कार्यालय में गया। मैंने जाने से पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था। श्री विश्राम मीणा सहायक अभियंता एवं चार्ज ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर से मेरे ग्राम पंचायत बमोरी के गांव ककरावदा में श्मशान के रास्ते वाले इन्टरलोकिंग कार्य में इन्टरलोकिंग सामग्री को पास करने की एवज में 1,00,000/ रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। श्री विश्राम मीणा ने मुझे रिश्वत राशि लेकर कल सुबह जल्दी ही सुल्तानपुर बुलाया है तथा कहा है कि 09 बजे मैं निकल जाउंगा, उससे पहले ही आना। मैंने बातचीत के बाद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर लिया था। श्री पवन कुमार कानि0 ने परिवादी के कथनों की ताईद की। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी ने कल दिनांक 03.02.2022 को सुबह 09 बजे से पहले रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। अतः ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण सम्भावना होने से स्वतंत्र गवाहान की तलबी आवश्यक है। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। समय 05.15 पी.एम. श्री विशेष कुमार कानि0 चालक को सचिव यूआईटी कोटा के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 06.20 पी.एम. श्री विशेष कुमार कानि0 चालक उक्त फिकरा का रवानाशुदा वापस आया और मन उप अधीक्षक पुलिस को यूआईटी कोटा का पत्रांक 363 दिनांक 02.02.2022 पेश कर बताया कि पत्रानुसार दो स्वतंत्र गवाह श्री उमाकान्त भारद्वाज, कनिष्ठ सहायक व श्री सोनू गुर्जर, कनिष्ठ सहायक अपने साथ लेकर उपस्थित आया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को स्वयं का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह से करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.25 पी.एम. पर कार्यालय के श्री पवन कुमार कानि. द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी विश्राम मीणा सहायक अभियंता एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर की होना पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत

मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी ने बताया की मैं पैसों का इंतजाम कर कल सुबह जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। अतः परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर कल समय 06.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर समय 07.50 पी.एम. पर रवाना किया गया। दिनांक 03.02.2022 को समय 06.50 ए.एम. पर पूर्व के तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री उमाकान्त भारद्वाज कनिष्ठ सहायक व श्री सोनू गुर्जर कनिष्ठ सहायक व एसीबी जाब्ता उपस्थित कार्यालय आये। समय 07.10 ए.एम. पर पूर्व का तलविदा परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि मेरे पास 90,000 रूपये की व्यवस्था ही हो पाई है। जिसमें से मुझे 40 हजार रूपये आज ही किसी को देने है। मैं आरोपी विश्राम मीणा को रिश्वत में केवल 50 हजार रूपये ही दे सकता हूं। समय 07.20 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0GA 863966
2	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8NT 619872
3	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4PL 625606
4	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6SW 724686
5	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1UF 296122
6	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7HD 781111
7	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6MS 463899
8	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1PV 784383
9	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5KC 125041
10	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5QW 935739
11	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4NG 850649
12	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6KK 529631
13	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5RS 945878
14	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2EB 151072
15	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8CC 609993
16	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3PB 415642
17	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9CN 899143
18	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8KH 423013
19	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5VT 771545
20	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4FK 930543
21	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9VD 398967
22	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4AG 344541
23	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0RV 846056
24	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9CF 883427
25	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3UU 553669
26	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7AM 077583
27	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6US 845654
28	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3HA 281323
29	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2PN 786787
30	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2KU 772745
31	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4CK 178232
32	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1EU 300384
33	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8AL 883110
34	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8AL 883112
35	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8AL 883113
36	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5DC 542197
37	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7KP 617903
38	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0PC 271383
39	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4TA 475554
40	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4EP 205772
41	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0MQ 048829

42	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4DC 136976
43	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0QQ 035991
44	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5CM 963185
45	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8KN 709658
46	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3HA 143478
47	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0HA 725936
48	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0HA 725928
49	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3EF 165022
50	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1VF 328543
51	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1VF 328542
52	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4VG 486874
53	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4VG 486872
54	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6EC 446769
55	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8UA 272360
56	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4CQ 784153
57	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0BC 357874
58	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3FD 612080
59	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7FG 754964
60	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5KE 727246
61	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8NB 614934
62	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0BU 144761
63	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0SW 962468
64	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5RU 185197
65	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1MS 750680
66	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0MG 744921
67	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9NC 193826
68	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4FR 972352
69	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9KN 469558
70	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3AM 945719
71	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0DK 222492
72	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8VD 068685
73	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6AS 845613
74	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2WM 932979
75	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1FS 168966
76	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614223
77	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614222
78	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614221
79	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614220
80	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614219
81	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614218
82	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614217
83	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614216
84	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614215
85	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614214
86	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614210
87	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614209
88	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 665706
89	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 665705
90	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614231
91	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614230
92	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614228
93	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614227
94	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614226
95	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9AM 969185
96	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3AB 680372
97	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2TM 265446
98	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8PN 976976

99	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6MM 190282
100	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1HT 937986

श्री दिग्विजय सिंह कानि. 419 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री उमाकांत भारद्वाज से परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों को श्री दिग्विजय सिंह कानि. 419 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई जिंस पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये तथा शेष 40,000रू बिना फिनोफथ्लीन पाउडर लगाये हुये परिवादी की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री दिग्विजय सिंह कानि. 419 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री दिग्विजय सिंह कानि. 419 के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री दिग्विजय सिंह कानि. 419 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाले कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पेंट की साईड की बायीं जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। समय 07.55 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह परिवादी के प्राईवेट वाहन से तथा श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक जाब्ता श्री असलम खान हैड कानि0, श्री पवन कुमार कानि0, श्रीमती कीर्ति चौधरी म0कानि0 मय लैपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स सरकारी वाहन चालक श्री नरेश यादव कानि0 के पंचायत समिति सुल्तानपुर हेतु रवाना हुआ। दिनांक 03.02.2022 समय 08.45 ए.एम. मन उप अधीक्षक पुलिस, श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व एसीबी जाब्ता पंचायत समिति सुल्तानपुर के परिसर के गेट के बाहर पहुँचे। जहाँ परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी श्री विश्राम मीणा के पंचायत समिति सुल्तानपुर के परिसर में बने आवास पर रवाना किया। श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक व जाब्ता व दोनों स्वतंत्र गवाहान को गेट के पास बनी दीवार की ओट में उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी से दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे–पीछे पंचायत समिति सुल्तानपुर में बने कार्यालय जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी के पास खडा होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 09.01 ए.एम. पर परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी बालापुरा कुन्हाडी कोटा हाल म0नं0 3 श्रीनाथ विहार कोलोनी बून्दी रोड कोटा ने पंचायत समिति परिसर सुल्तानपुर में खडी अपनी कार के पास से अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक व स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ते को ईशारा कर बुलाया। मन उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहान मय ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह के पास, पंचायत समिति परिसर स्थित आरोपी के निवास के पास पहुंचा तथा परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया वह व्यक्ति जिसने नीले–काले रंग का कोट तथा सलेटी (ग्रे) कलर की पेन्ट पहनी हुई है, की ओर ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति ही विश्राम सिंह मीणा ब्लॉक विकास अधिकारी है, जिसने अभी–अभी मुझसे मेरे द्वारा सप्लाई की गई निर्माण सामग्री रोड बनाने के ब्लॉक की स्ट्रेन्थ पास करने की एवज में 50,000 रू रिश्वत राशि प्राप्त कर, अपने पहने हुए कोट की सामने की नीचे की दाहिनी जेब में रखे है। परिवादी के बताये हुये व्यक्ति का दाहिना हाथ कलाई के ऊपर से श्री असलम हेड कानि. 124 से व बायां हाथ कलाई के ऊपर से श्री पवन कुमार कानि. 272 से पकडवाया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी द्वारा बताए गए व्यक्ति को तसल्ली देते हुए अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया एंव नाम–पते पूछे तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम विश्राम सिंह मीणा पुत्र श्री होरी लाल मीणा उम्र 53 साल जाति मीणा निवासी ग्राम बडापुरा पोस्ट भावली

तह. तथा मासलपुर जिला करौली हाल सहायक अभियंता, पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं कार्यवाहक ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा होना बताया। इस पर आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा विकास अधिकारी से परिवादी हरविन्द्र सिंह से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैने हरविन्द्र सिंह से कोई रिश्वत राशि नही ली है, मैने तो रुपयों की आवश्यकता होने से इससे उधार लिए हैं तथा इसने स्वंय अपनी मर्जी से मुझे रुपये उधार दिए हैं। जो मैने दाहिने हाथ में लेकर अपने पहने हुए कोट की सामने की नीचे वाली दाहिनी जेब में ही रखे हैं। इस पर स्वतन्त्र गवाह श्री उमाकांत भारद्वाज से श्री विश्राम मीणा के पहने हुए कोट की नीचे वाली दाहिनी जेब से रिश्वती राशि को निकलवाकर गिनवाया गया तो स्वतंत्र गवाह श्री उमाकांत भारद्वाज ने नोटों को गिनकर 500–500 के 100 नोट कुल 50,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से फर्द पेशकशी नोट सुपुर्द कर मिलान करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने उक्त नोटो का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर हुबहू वही नोट होना बताया, जो परिवादी ने वक्त फर्द पेशकशी के वक्त पेश किये थे। उक्त नोटों को स्वतन्त्र गवाह श्री उमाकांत भारद्वाज के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी का निवास स्थान कार्यवाही हेतु उपयुक्त होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री विश्राम मीणा के पंचायत समिति परिसर स्थित निवास स्थान में कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा को एक कुर्सी पर बैठाया गया एंव मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः तसल्ली देकर पूछा गया कि आपने अभी–अभी परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह से 50,000रू किस काम की एवज में लिये है, तो आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा ने बताया कि हरविन्द्र सिंह जी का निर्माण कार्य सामग्री जैसे इन्टरलॉक ब्लॉक, पत्थर, रेत, गिट्टी इत्यादी सप्लाई का कार्य है जिसका मेटेरियल हमारी पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतो के निर्माण कार्यों हेतु आता है। इसलिए मैं इनको जानता हूं। मैने हरविन्द्र सिंह से कोई रिश्वत प्राप्त नही की है। मुझे रुपयों की आवश्यकता होने पर करीब एक माह पहले मैने हरविन्द्र सिंह जी से उधार पर देने हेतु रुपयों के लिए कहा था तो इन्होने 1,00,000रु मुझे उधार देने के लिए कहा था तब इन्होने कहा था कि "एक लाख रुपये मुझसे ले लेना तथा बाद में दे देना।" कल दिनांक 02.02.22 को श्री हरविन्द्र सिंह मेरे पास आए थे और उन्होने मुझे उधार एक लाख से कुछ कम करने के लिए कहा था तो मैने उनको कहा था कि एक लाख रुपये पूरे कर के देना चाहे दो दिन में कर देना एवं साथ ही श्री हरविन्द्र जी ने मुझसे गांव ककरावदा के निर्माण सामग्री इन्टरलोकिंग आदि की पूर्ति के सम्बंध में बात करते हुए एक लाख रुपये ज्यादा होना तथा कम करने हेतु नही कहा था। मैने उक्त सामग्री की स्ट्रेंग्थ चैक करवाने के लिए कहा था। हरवेन्द्र जी ने मनीषा जी से एम बी का काम करवाने हेतु कहा था तब मैने कहा था कि वो मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा कोई दिक्कत नही है। हरविन्द्र जी ने मुझे कल एक लाख रुपये उधार लाकर मुझे देने हेतु कहा हो तो मुझे ध्यान नही है। आज सुबह हरविन्द्र जी पुनः मेरे पास, मेरे पंचायत समिति स्थित निवास पर आए तथा मुझे 50,000 रुपये उधार दिए हैं और पचास हजार बाद में देने के लिए कहा था, इस पर पास खडे परिवादी ने आरोपी विश्राम सिंह मीणा की बात का खण्डन करते हुये कहा कि श्री विश्राम सिंह मीणा जी झूठ बोल रहे है, मैं करीब 12–13 दिन पहले इनके कार्यालय में इनसे मिला था तथा मेरे मुंशी ओमप्रकाश की फर्म वंश इन्टर प्राईजेज द्वारा पूर्ति की जा रही निर्माण सामग्री पास करने के लिए कहा तो इन्हाने मुझसे 1,00,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की। इन्होने मेरे साथी श्री ओमप्रकाश की फर्म वंश इन्टरप्राईजेज जिसका काम मैं ही संभालता हूं। उक्त फर्म को आवंटित कार्य ककरावदा गांव में शमशान को जाने वाले रास्ते पर इन्टरलोकिंग आदि की निर्माण सामग्री की पूर्ति करने एवं उसकी स्ट्रेंग्थ पास करने की एवज में मुझसे 1,00,000रू रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में की थी। परंतु एक लाख रुपयों की व्यवस्था नही होने पर मैने आज इनको 50,000रू रिश्वत राशि दी है। इन्होने आज मुझसे 50,000रू प्राप्त कर इनके पहने हुए कोट की सामने की नीचे की दाहिनी जेब में रखे हैं। मेरे पास 40 हजार रूपये और थे जो मैं इनको देना नहीं चाहता था। इसलिये उनकी गिनती बी.डी. ओ. के सामने की थी और 10 हजार रूपये कम होने व बाद में देने की कहकर 40 हजार रूपये मेरी जेब में वापस ले आया था जो विश्राम मीणा को नहीं दिये थे। मैंने इनको ककरावदा वाले काम के लिए फोन करने के लिए भी कहा था तो इन्होंने मुझसे कहा वो कोई दिक्कत नही है, अपन शनिवार को चलकर कर लेंगे। उसके बाद ही मैने आपको ईशारा कर दिया था। आरोपी के पहने हुए कोट की नीचे की दाहिनी जेब से बरामद रिश्वत राशि जिसे गवाह श्री उमाकांत भारद्वाज के पास सुरक्षित रखवाया गया था, उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि का पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया एंव बरामद रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000रू के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है :–

1	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0GA 863966
2	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8NT 619872
3	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4PL 625606
4	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6SW 724686
5	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1UF 296122
6	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7HD 781111
7	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6MS 463899
8	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1PV 784383

9	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5KC 125041
10	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5QW 935739
11	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4NG 850649
12	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6KK 529631
13	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5RS 945878
14	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2EB 151072
15	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8CC 609993
16	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3PB 415642
17	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9CN 899143
18	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8KH 423013
19	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5VT 771545
20	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4FK 930543
21	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9VD 398967
22	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4AG 344541
23	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0RV 846056
24	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9CF 883427
25	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3UU 553669
26	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7AM 077583
27	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6US 845654
28	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3HA 281323
29	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2PN 786787
30	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2KU 772745
31	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4CK 178232
32	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1EU 300384
33	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8AL 883110
34	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8AL 883112
35	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8AL 883113
36	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5DC 542197
37	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7KP 617903
38	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0PC 271383
39	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4TA 475554
40	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4EP 205772
41	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0MQ 048829
42	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4DC 136976
43	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0QQ 035991
44	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5CM 963185
45	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8KN 709658
46	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3HA 143478
47	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0HA 725936
48	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0HA 725928
49	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3EF 165022
50	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1VF 328543
51	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1VF 328542
52	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4VG 486874
53	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4VG 486872
54	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6EC 446769
55	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8UA 272360
56	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4CQ 784153
57	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0BC 357874
58	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3FD 612080
59	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7FG 754964
60	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5KE 727246
61	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8NB 614934
62	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0BU 144761
63	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0SW 962468
64	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	5RU 185197
65	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1MS 750680

66	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0MG 744921
67	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9NC 193826
68	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4FR 972352
69	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9KN 469558
70	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3AM 945719
71	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	0DK 222492
72	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8VD 068685
73	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6AS 845613
74	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2WM 932979
75	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1FS 168966
76	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614223
77	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614222
78	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614221
79	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614220
80	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614219
81	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614218
82	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614217
83	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614216
84	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614215
85	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614214
86	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614210
87	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614209
88	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 665706
89	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 665705
90	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614231
91	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614230
92	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614228
93	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614227
94	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	7VG 614226
95	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	9AM 969185
96	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	3AB 680372
97	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	2TM 265446
98	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8PN 976976
99	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	6MM 190282
100	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	1HT 937986

उक्त रिश्वत राशि को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा की हाथ धुलाई की कार्यवाही की जानी है। दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी के पंचायत समिति स्थित आवास से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया तथा दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला आया, जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया। तत्पश्चात् एक साफ कांच का गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, आरोपी के पहने हुए नीला–काला चैक के कोट को उतरवाकर उसकी सामने की नीचे की दांहिनी जेब को बाहर निकलवाकर उक्त गिलास के घोल में डुबो कर धुलवाया तो बर्तन के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क C–1, C–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गए। आरोपी के पहने हुये बरंग नीले काले चैक कोट की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कोट को एक कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर किया जाकर पैकिट मार्क C अंकित किया गया। आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री उमाकांत भारद्वाज से लिवाई तो आरोपी की पहनी हुई सलेटी (ग्रे) रंग की पेंट की जेब से एक काले रंग का पर्स जिसमें आरोपी का स्वयं का आधार कार्ड, स्वयं का ड्राईविंग लाईसेंस, पत्नि पान बाई का का जनआधार

कार्ड तथा 500–500 रुपये के 7 नोट, 50–50 रू के 02 नोट व 10–10रू के 04 नोट कुल 3640/–रू मिले। रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त लेन–देन रिश्वत वार्ता दोनों ही परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जिसको परिवादी व रूबरू गवाहान, आरोपी के सामने डीवीआर चालू कर सुना गया तो उक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता में परिवादी के कथनों की ताईद होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपी विश्राम सिंह मीणा विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर ने परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह की निर्माण सामग्री इन्टरलोकिंग ब्लॉक की स्ट्रेंग्थ चैक कर पास करने की एवज में परिवादी हरविन्द्र सिंह से 1,00,000रू रिश्वत राशि की मांग कर, 50,000रू रिश्वत राशि प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी द्वारा दाहिने हाथ में लेकर पहने हुए कोट की नीचे की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होना व आरोपी के दांए हाथ का धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना एंव पहने हुए कोट की दाहिनी नीचे वाली जेब के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी विश्राम सिंह मीणा पुत्र श्री होरी लाल मीणा उम्र 53 साल जाति मीणा निवासी ग्राम बडापुरा पोस्ट भावली, तहसील व थाना मासलपुर जिला करौली हाल सहायक अभियंता, पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं कार्यवाहक ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। समय 12.30 पी.एम. पर वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री पवन कुमार कानि. द्वारा रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी विश्राम सिंह मीणा की होना पहचान की। रूबरू गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.05 पी.एम. पर आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा पुत्र होरीलाल जाति मीणा निवासी बडापुरा पोस्ट भावली तहसील मासलपुर जिला करौली हाल सहायक अभियंता पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानुपर कोटा को उनकी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस कमांक दस्ती दिनांक 03.02.2022 दिया गया तो आरोपी ने स्वयं के हस्तलेख से नोटिस नमूना आवाज पर लिखकर दिया की मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं। नोटिस नमूना आवाज को शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.00 पी. एम.पर आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा सहायक अभियन्ता एवं कार्यवाहक ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर के सरकारी आवास की खाना तलाशी की गई। आरोपी के सरकारी आवास से एक काले रंग के बैग में 200–200 रूपये की एक गड्डी जिसमें 89 नोट कुल 17800 रूपये, 500–500 रूपये की एक गड्डी जिसमें 100 नोट कुल 50 हजार रूपये तथा 500–500 रूपये की एक गड्डी जिसमें 84 नोट कुल 42 हजार रूपये कुल 1,09,800 रूपये मिले। आरोपी से उक्त राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अतः उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुये कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 04.00 पी.एम.पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने घटनास्थल पंचायत समिति सुल्तानपुर के परिसर में बने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रोटो टाईप भवन जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त की गई है, का निरीक्षण कर परिवादी की मौजूदगी में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। पंचायत समिति सुल्तानपुर से फर्म वंश इन्टरप्राईजेज की ग्रम पंचायत बमोरी में निमार्ण सामग्री आपूर्ति की पत्रावली श्री महावीर सिंह नरूका, अतिरिक्त विकास अधिकारी के प्रमाणितशुदा व सेवा विवरण आरोपी श्री विश्राम सिंह का पेश किया जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। समय 05.15 पी.एम.पर आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा को नियमानुसार जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की इच्छानुसार उसके पुत्र श्री अवधेश मीणा को दी गई। समय 05.35 पी.एम पर दिनांक 02.02.2022 को परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह व आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व आज दिनांक 03.02.2022 को परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह व आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता को 4 सी.डी. में श्री असलम खान हैड कानि0 124 द्वारा मेरे निर्देशन में डब करवाया गया। प्रत्येक सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. बतौर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए, एक सीडी आरोपी के लिए तथा एक सीडी नमूना आवाज एफ.एस.एल. जॉच के लिए पृथक पृथक कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैलियों पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड चिट किया गया। एक सी. डी. अनुसंधान अधिकारी के लिये अनशील्ड रखी गई। शील्डशुदा सीडियों को कब्जे एसीबी लिया गया। कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की गई। बाद कार्यवाही परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह को सकुशल रूखसत किया गया। चूंकि परिवादी कोटा का रहने वाला है और कोटा ही जा रहा है, इस पर एसीबी जाप्ता अधिक होने से परिवादी से वार्ता कर उसके प्राईवेट वाहन में जाप्ता श्री असलम खान हैड कानि0 124 व श्री पवन कुमार कानि0 272 को एसीबी चौकी कोटा देहात रवाना किया गया। समय 07.20 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस, श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय श्री नरेश यादव कानि0 144, श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन परिवादी के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री विश्राम मीणा, बरामदशुदा रिश्वत राशि का लिफाफा, आरोपी श्री विश्राम मीणा के हाथों के धोवन की 06 शीशियां, जब्तशुदा पैकिट मार्क "सी" व शील्डशुदा सीडीयां–03 व एक अनशील्ड सीडी, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय पत्रावली ट्रेप बॉक्स

प्रिन्टर के कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 08.35 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस उक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्या. भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पहुँचा। जहाँ प्रकरण के समस्त आर्टिकल्स को चौकी हाजा के मालखाना में सुरक्षित जमा करवाया गया। दोनों गवाहान को सकुशल रूखसत किया गया। इसके थोडी देर बाद ही श्री असलम खान हैड कानि0 व श्री पवन कुमार कानि0 उपस्थित कार्यालय आये।

उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री हरविन्द्र सिंह द्वारा उसके मुंशी ओमप्रकाश की फर्म क्रमशः शिवांग इन्टरप्राईजेज व वंश इन्टरप्राईजेज को महात्मा गांधी नरेगा एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं हेतु वर्ष 2021–22 में निर्माण सामग्री विभिन्न पंचायतों में आपूर्ति करने का वर्क ऑर्डर पंचायत समिति सुल्तानपुर की ओर से जारी किया गया था। परिवादी हरविन्द्र सिंह ही फर्म वंश इन्टरप्राईजेज का काम संभालता है। ग्राम पंचायत बमोरी के गांव ककरावदा में सडक सुदृढीकरण का कार्य फर्म वंश इन्टरप्राईजेज द्वारा किया जा रहा था। इस कार्य हेतु परिवादी द्वारा आपूर्ति की गई इन्टरलोकिंग ब्लॉक को पास करने की एवज में आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा सहायक अभियंता कार्यवाहक ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा द्वारा परिवादी से 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई। जिसकी पुष्टि दिनांक 02.02.2022 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन से होती है। इसी क्रम में दिनांक 03.02.2022 को आरोपी विश्राम मीणा को परिवादी से 50 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि 50,000रू आरोपी विश्राम मीणा के वक्त घटना पहने हुये नीले काले रंग के कोट के नीचे के दाहिनी जेब से बरामद हुई। आरोपी के दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होने, आरोपी के वक्त घटना पहने हुये कोट की नीचे की दाहिनी जेब का धोवन भी गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी श्री विश्राम मीणा के विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। इत्यादी सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा पुत्र होरीलाल जाति मीणा निवासी बडापुरा पोस्ट भावली तहसील मासलपुर जिला करौली हाल सहायक अभियंता पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानुपर कोटा द्वारा जुर्म धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(विजय सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री विश्राम सिंह मीणा पुत्र श्री होरी लाल मीणा निवासी ग्राम बडापुरा, पोस्ट भावली, तहसील मासलपुर जिला करौली हाल सहायक अभियंता एवं कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुल्तानपुर कोटा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 32/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-309-13 दिनांक 05.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

5.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।